प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 28.05.2025

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, **क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज** के पर्यवेक्षण में व **प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल** के नेतृत्व में उ0नि0 सज्जन कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 344/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त रिषभ सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित SSB आरक्षी भर्ती (2024) परीक्षा में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर नियुक्त पत्र लेकर SSB आरटीसी ट्रेनिंग सेन्टर फर्टिलाईजर गोरखपुर मे ट्रेनिंग पर ज्वाईन करना, अभियुक्त द्वारा ट्रेनिंग सेन्टर को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल दस्तावेजों से मिलान कराने पर पूर्ण रूप से मेल न होना तथा कर्मचारी चयन आयोग के सर्वर पर अभियुक्त के फोटो व बाया हाथ के अंगूठे का मिलान करने पर सर्वर के डाटा बेस से मैच न होने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-

अभियुक्त रिषभ सिंह पुत्र श्री शशि कुमार निवासी ग्राम घोटिया रोड नवापार पोस्ट कवरधा थाना कबीरधाम जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 344/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 सज्जन कुमार मिश्रा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 दिवाकर प्रसाद थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर